प्रेस नोट दिनांक 02.10.2025 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 02.10.2025
थाना: कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

दानपात्र तोड़कर नकदी चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, ₹4056/- बरामद

राजपाल टंकी चौराहे दुर्गा पंडाल से दानपात्र चोरी की घटना का खुलासा, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 01.10.2025 को प्रार्थी श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, पुत्र श्री कैलाशनाथ पाण्डेय, निवासी पल्टन बजार, थाना कोतवाली नगर, ने बताया कि उनके द्वारा राजपाल टंकी चौराहे पर स्थापित दुर्गा प्रतिमा के पंडाल में रखे दान पात्र को तोड़कर अज्ञात व्यक्ति ने 4–5 हजार रुपये चोरी कर लिए। उक्त घटनाक्रम के संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 485/2025 धारा 303(2) BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक नगर/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में सूचना प्राप्त होने पर उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी, मय हमराह का0 विनय यादव एवं का0 रमाकांत गौड़ द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग और गिरफ्तारी हेतु तुरंत कार्रवाई की गई। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मदर अस्पताल के पास आरोपी रोहित कन्नौजिया उर्फ गोलू पुत्र स्वर्गीय लल्ला चौधरी उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी दहिलामऊ, थाना कोतवाली नगर, को मौके पर पकड़ लिया गया।

बरामदगी:
अभियुक्त के कब्जे से काली पन्नी में कुल ₹4056/- बरामद हुए, जिसमें विभिन्न मूल्य के नोट और सिक्के शामिल हैं। अभियुक्त ने चोरी की वारदात स्वीकार की ।

गिरफ्तारी और कानूनी कार्यवाही:
अभियुक्त को धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में गिरफ्तार कर विवेचना आरंभ की गई।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह का0 विनय यादव, का0 रमाकांत गौड थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 02.10.2025
थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी -
थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 05 जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत भुलियापुर प्राइमरी स्कूल के,पास महुआ पेड़ के नीचे से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक नगर/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी मय हमराहीगण का० योगेश यादव, का० दिलीप कुमार व का0 सर्वेश चौरसिया द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के भुलियापुर प्राइमरी स्कूल के पास महुआ पेड़ के नीच से 02 अभियुक्तों 01. दिलीप सोनकर पुत्र स्वर्गीय मातादीन निवासी मनियारपुर थाना बंधुआकला जनपद सुलतानपुर उम्र 26 वर्ष व 02. राजेश सोनकर पुत्र स्वर्गीय गया प्रसाद सोनकर निवासी करौंदिया थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर उम्र 36 वर्ष को 05 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तो के पास से 05 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 487/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. दिलीप सोनकर पुत्र स्वर्गीय मातादीन निवासी मनियारपुर थाना बंधुआकला जनपद सुलतानपुर उम्र 26 वर्ष
02. राजेश सोनकर पुत्र स्वर्गीय गया प्रसाद सोनकर निवासी करौंदिया थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर उम्र 36 वर्ष

आपराधिक इतिहास-
अभियुक्त दिलीप सोनकर s/o स्व0 मातादीन उर्फ मतई निवासी – मनियारपुर, थाना बंधुआकलां, जनपद सुल्तानपुर का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 0007/2020, धारा 3/5A/8 गोवध अधि० व 307 भादवि, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 0008/2020, धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 0057/2020, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 0278/2020, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना कुड़वार, जनपद सुल्तानपुर।
5. मु0अ0सं0 0173/2024, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना बंधुआकलां, जनपद सुल्तानपुर।
6. मु0अ0सं0 0147/2019, धारा 379, 411 भादवि, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0 0284/2019, धारा 3/5/8 गोवध अधि०, थाना कुड़वार, जनपद सुल्तानपुर।
8. मु0अ0सं0 0272/2020, धारा 2, 3(1) गैंगेस्टर एक्ट, थाना कुड़वार, जनपद सुल्तानपुर।
9. मु0अ0सं0 0278/2020, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना कुड़वार, जनपद सुल्तानपुर।

अभियुक्त राजा उर्फ राजेश सोनकर s/o स्व0 गयाप्रसाद सोनकर निवासी – करौंदिया, निकट पुलिस लाइन, थाना को0 नगर, जनपद सुल्तानपुर का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0057/2024, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना कूरेभार, जनपद सुल्तानपुर।
2. मु0अ0सं0 0247/2022, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना जायस, जनपद अमेठी।

बरामदगी-

05 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी मय हमराह का० योगेश यादव, का० दिलीप कुमार व का0 सर्वेश चौरसिया थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 02.10.2025,
थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़

मिशन शक्ति टीम, थाना महेशगंज द्वारा दहेज हत्या के मुख्य आरोपी मोहित गौतम गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देश पर की गई निर्णायक कार्यवाही-

थाना महेशगंज की मिशन शक्ति टीम के कुशल नेतृत्व एवं सतत निगरानी में वांछित आरोपी की धरपकड़, मिशन शक्ति अभियान के तहत की गई प्रभावशाली कार्यवाही

अभियुक्त को थाना महेशगंज क्षेत्रातंर्गत पटना चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी नि० ग्रा0 धारुपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ने अपनी पुत्री का विवाह मोहित गौतम (पुलिस सिपाही) से 15/02/2025 को संपन्न कराया था। वादी की तहरीर के अनुसार करीब एक माह पूर्व मोहित ने कार की मांग करते हुए बेटी को धमकाया कि अगर कार नहीं मिली तो उसकी हत्या कर दूँगा। दिनांक 29/09/2025 को रोहित और मोहित ने उसकी पुत्री को पीटा, जिससे उसकी तबीयत गंभीर हो गई। वादी तत्काल भैंसाना और अस्पताल पहुँचा, लेकिन वहां पता चला कि शेजल को मृत घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में थाना महेशगंज में मु0अ0सं0 215/2025 धारा 80(2)/85/351 (3) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 02 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में थाना महेशगंज की मिशन शक्ति

टीम के म०उ0नि0 वन्दना वर्मा मय हमराह का० बीरपाल सिंह, का0 अनिल राजपूत व म० आरक्षी कविता यादव व हस्बुल तलब हमराह उ0नि0 अखिलेश कुमार सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 215/2025 धारा 80(2)/85/351 (3) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ में वाँछित 01 अभियुक्त मोहित गौतम पुत्र अमृतलाल गौतम निवासी ग्राम भैसाना थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 31 वर्ष को थाना महेशगंज क्षेत्रातंर्गत पटना चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि हमारे ऊपर अभी दो दिन पहले ही महेशगंज थाने में दहेज हत्या का मुकदमा लिखा गया है । आप लोगों से बचने के लिए हम कही भागने की फिराक में थे कि आप लोगो ने आकर पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. मोहित गौतम पुत्र अमृतलाल गौतम निवासी ग्राम भैसाना थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 31 वर्ष ।

पुलिस टीम-
मिशन शक्ति टीम के म०उ0नि0 वन्दना वर्मा मय हमराह का० बीरपाल सिंह, का0 अनिल राजपूत व म0 आरक्षी कविता यादव व हस्बुल तलब हमराह उ0नि0 अखिलेश कुमार सिंह थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 02.10.2025,
थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

मिशन शक्ति टीम, थाना सांगीपुर द्वारा दहेज हत्या के मुख्य आरोपी मयंकराज विश्वकर्मा गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देश पर की गई निर्णायक कार्यवाही-

थाना सांगीपुर की मिशन शक्ति टीम के कुशल नेतृत्व एवं सतत निगरानी में वांछित आरोपी की धरपकड़, मिशन शक्ति अभियान के तहत की गई प्रभावशाली कार्यवाही-

अभियुक्त को थाना सांगीपुर क्षेत्रातंर्गत शुकुलपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी निवासी ग्राम सोनारी कला थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी की तहरीर के अनुसार उसकी बहन का विवाह दिनांक 12.02.2025 को मयंक विश्कर्मा निवासी थाना संगीपुर, प्रतापगढ़ से हुआ था । विवाह के पश्चात पति मयंक, ससुर देवराज, सास, देवर अजय व चचेरा देवर विशाल आदि द्वारा ₹2 लाख अतिरिक्त दहेज की मांग कर लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा था। दिनांक 29.09.2025 को सुबह लगभग 9 बजे उपरोक्त लोगों ने रिंकी को मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 186/2025 धारा 80/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 05 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर की मिशन शक्ति टीम के म0उ0नि0 स्वाति वर्मा मय हस्बुल तलब हमराह म0का0 गुन्चा सनोबर, म0का0 अंजली शाक्य व का० मुकेश कुमार, का0 मुकुल अग्रे द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 186/2025 धारा 80/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ में वाँछित 01 अभियुक्त मयंकराज विश्वकर्मा पुत्र देवराज विश्वकर्मा निवासी ग्राम रामसिंह का पुरवा भगौरा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष को थाना सांगीपुर क्षेत्रातंर्गत शुकुलपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मयंकराज विश्वकर्मा पुत्र देवराज विश्वकर्मा निवासी ग्राम रामसिंह का पुरवा भगौरा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष।

पुलिस टीम-

मिशन शक्ति टीम के म0उ0नि0 स्वाति वर्मा मय हस्बुल तलब हमराह म0का0 गुन्चा सनोबर, म0का0 अंजली शाक्य व का० मुकेश कुमार, का0 मुकुल अग्रे थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक-02.10.2025

थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना हथिगवां पुलिस द्वारा चोरी के आभूषणों के साथ 01 अभियुक्त को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरेजीत ऊसर से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

वादिनी निवासिनी ग्राम पूरे डीह चौधरी थाना हथिगवाँ प्रतापगढ के घर से चोरो द्वारा आभूषण व रूपये चोरी कर लेने के संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना हथिगवां पर मु0अ0स0 175/2025 धारा 331 (4)/305 बी.एन.एस बनाम अज्ञात चोर का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 02.10.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक(पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी हथिगवां श्री नन्दलाल सिंह के नेतृत्व में थाना हथिगवां के उ0नि0 विवेक पाण्डेय मय हमराह का० नरेन्द्र धमनिया व उ0नि0 दिलीप कुमार वर्मा व म0उ0नि0 राखी सिंह के द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना हथिगवां पर पंजीकृत मु0अ0स0 175/2025 धारा 331 (4)/305 बी.एन.एस से संबंधित 01 अभियुक्त मदन मोहन सिंह पुत्र रामजस सिंह निवासी ग्राम पूरेजीत ऊसर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को चोरी के 1. अदद गले का हार सात लाकेट से जंजीर से जुड़ा हुआ पीली

धातु, 2. एक अदद काली लाल मोती की माला जिसमें एक लाकेट पीली धातु व छः गुरिया लगी हुई पीली धातु, 3.एक अदद लाल पीली मोती की माला जिसमें एक लॉकेट पीली धातु व चार मोती लगी हुई पीली धातु, 4.दो अदद अँगूठी पीली धातु, 5. एक जोड़ी झुमका दो तल्ला पेंच सहित पीली धातु, 6.तीन अदद नाक की कील पेंच सहित पीली धातु, 7.एक अदद नाक की कील पेंच सहित चैन दार पीली धातु, 8.एक जोड़ी पायल सफेद धातु, 9. एक अदद ब्रेसलेट सफेद धातु के साथ थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत पूरेजीत ऊसर से गिरफ्तार किया गया है। उक्त बरामदगी के संबंध में उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ पर अभियुक्त ने अपना नाम मदन मोहन सिंह पुत्र रामजस सिंह निवासी ग्राम पूरेजीत ऊसर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ बताया। दिनांक 06.09.25 की रात में करीब 01 बजे मैं, मेरी बेटी अर्चना व मेरी बेटी के साथ रहने वाला ग्राम पूरेजीत चौधरी का एक लड़का विजय सिंह पुत्र 1 रज्जन सिंह ने ग्राम पूरेजीतचौधरी में सुषमा देवी पत्नी मंगल सिंह के घर से उनके गहने और पैसे चुरा लिये थे और उस गहने को मेरी बेटी घर ले आई थी। जब से वह जेल गई है मैं आज मौका पाकर चुराये हुये गहनों को अपने घर से निकालकर कहीं ठिकाने लगाने की फिराक में अपने घर आया था कि आप लोगों ने मुझको पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
मदन मोहन सिंह पुत्र रामजस सिंह निवासी ग्राम पूरेजीत ऊसर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- चोरी के आभूषण(पीली धातु व सफेद धातु) बरामद।

पुलिस टीम-
उ0नि0 विवेक पाण्डेय मय हमराह का० नरेन्द्र धमनिया व उ0नि0 दिलीप कुमार वर्मा व म0उ0नि0 राखी सिंह थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 02.10.2025,
थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़

मिशन शक्ति टीम, थाना बाघराय द्वारा दहेज हत्या का 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देश पर की गई निर्णायक कार्यवाही-

थाना बाघराय की मिशन शक्ति टीम के कुशल नेतृत्व एवं सतत निगरानी में वांछित आरोपी की धरपकड़, मिशन शक्ति अभियान के तहत की गई प्रभावशाली कार्यवाही-

अभियुक्त को थाना बाघराय क्षेत्रातंर्गत बढ़ईपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निवासी ग्राम परसरामपुर थाना- मानधाता जनपद प्रतापगढ की तहरीर के अनुसार उसकी बेटी का विवाह वर्ष-2019 में वीरेन्द्र सुत लालजी निवासी ग्राम काशीपुर डुबकी थाना बाघराय के साथ प्रेम विवाह द्वारा हुआ था। विवाह के पश्चात ससुरालजन आदि द्वारा दहेज की मांग कर लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा था। दिनांक 30/09/2025 की समय लगभग साय 6 बजे उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में थाना बाघराय में मु0अ0सं0 206/2025 धारा 80 (2)/85 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम 02 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में थाना बाघराय की मिशन शक्ति टीम के म030नि0 कीर्ति रमन व उ0नि0 लालजी राम मय हमराह का० विजय सिंह मय म0का0 प्रगति गुप्ता मय म0पी0आरडी अनामिका मय चालक हो0गा0 इन्द्रकुमार तिवारी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 206/2025 धारा 80 (2)/85 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ में वाँछित 01 अभियुक्त वीरेन्द्र पटेल पुत्र लालजी पटेल नि० ग्राम केवल का पुरवा काशीपुर डुबकी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ को थाना बाघराय क्षेत्रातंर्गत बढ़ईपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. वीरेन्द्र पटेल पुत्र लालजी पटेल नि० ग्राम केवल का पुरवा काशीपुर डुबकी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-
मिशन शक्ति टीम के म030नि0 कीर्ति रमन व उ0नि0 लालजी राम मय हमराह का० विजय सिंह मय म0का0 प्रगति गुप्ता मय म0पी0आरडी अनामिका मय चालक हो0गा0 इन्द्रकुमार तिवारी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।